प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रमेश कुमार सुथार गोद पुत्र भूरारामजी सुथार पीपली चौक भीनमाल 343029(राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्री दौलतराम, उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण अपील		6 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/ 00033

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

04.04.2018

अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 29.01.2018 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में सात बिन्दुओ के संबंध में सूचना चाही गई। जिसके संबंध में अपीलांट को जरिये पत्रांक 482 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा 7 पृष्ठो के 14/- रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया।अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही करवाने के कारण आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 863952 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 29.01.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है।अपीलांट द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र दो बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। जिस कम में राज्य लोक सूचना अधिकारी(उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना हेतु जरिये पत्रांक/482 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दिनांक25.01.2018जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 29.01.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है, के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजो के पेटे राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक/482 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा सूचित किया गया होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1) का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद की श्रेणी में लंबित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार Pre-mature प्रस्तुत होने से श्रवण योग्य नहीं है।अत: अपील अपीलांट खारिज की जाकर फैसल शुमार की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

सही-
(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)जालोर